

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: ~~1777~~ / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	ललित मोहन कश्यप/ नैनीताल/	सिंचाई खण्ड काशीपुर (उप-3)	सिंचाई खंड नैनीताल (उपखंड-5)	धार 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

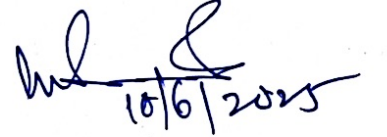
२

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1397 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


10/6/2025

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता



**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1798 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 30 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	पुष्पेन्द्र कुमार/ हरिद्वार	जल विज्ञान खंड बहादुराबाद (उपखंड-2)	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खंड-1 नई टिहरी	धार 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

A

**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1798 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1799 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	लोकेश कुमार वशिष्ठ/ हरिद्वार	सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार।	पी0एम0जी0 एस0 वाई0 सिंचाई खंड, पुरोला	धार 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

4

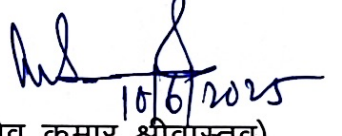
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1799 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 18 ँ0 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 20 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अजय भट्ट /रुद्रप्रयाग	प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून	पी०एम०जी० एस० वाई० सिंचाई खंड, चम्पावत	धार 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1800 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
- 10 कट फाईल हेतु ।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)

कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1801 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	भूपेन्द्र सिंह असवाल/ टिहरी	अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादून	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खंड-2 नई टिहरी	धार 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1801/प्र0अ0/सि0वि0/ई-5/स्था0-2025/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2)/(सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1802 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कुन्दन वन/ नैनीताल	सिंचाई खंड, रानीखेत (उप-4)	सिंचाई खंड, रानीखेत (उपखंड-2)	धारा 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

2

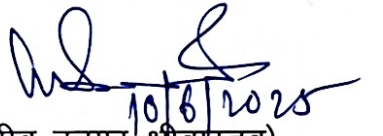
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1802/प्र0अ0/सिं0वि0/ई-5/स्था0-2025/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2)/(सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1803 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मृत्युंजय कुमार / उत्तर प्रदेश	अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादून।	सिंचाई खंड, चमोली (उपखंड-3)	धारा 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

2

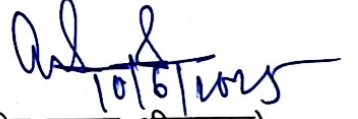
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1803 / प्र0अ0 / सि0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1804 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विपिन कुमार / हरिद्वार	पी0एम0जी0 एस0 वाई0 सिंचाई खंड कोटद्वार	जल विज्ञान ईकाई-2 (जल विज्ञान खंड) बहादुराबाद	धारा 7 (घ)(3)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



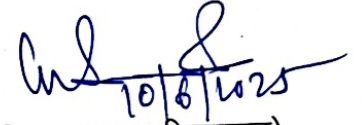
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1804 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।



(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता



**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1805 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1/ई-5/स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	योगेन्द्र कुमार/ हरिद्वार	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिं0खं0, देहरादून	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खंड, चम्बा	धार 7 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



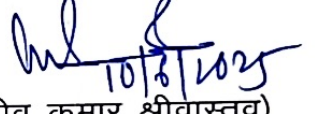
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1805 / प्र0अ0 / सि0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2)/(सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1806 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अनुभव नौटियाल / उत्तरकाशी	पी०एम०जी० एस०वाई० सिंचाई खंड, कोटद्वार	पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खंड, बैजरो	धार 7 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

✍

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता
(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1806 / प्र0अ0 / सि0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1907 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
	सर्व श्री				
1	2	3	4	5	6
1	अभिषेक तोमर / देहरादून	अवस्थापना खंड, डाकपत्थर	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खंड, पुरोला	धार 7 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

1

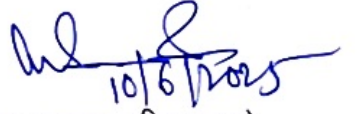
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1807 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1808 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 20 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विवेक कुमार/ हरिद्वार	प्रशासन खंड, रूड़की (उप-1)	सिंचाई परिकल्प संगठन रूड़की	धारा 7 (घ) (3) एवं 3 (घ)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



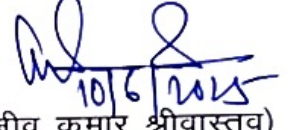
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1808 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1809 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मयंक व्यास/ हरिद्वार	प्रशिक्षण संस्थान, रूड़की	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खंड, चम्पावत	धारा 7 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

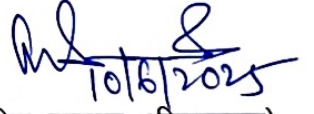
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1801 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1810 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बृजमोहन सिंह / रुद्रप्रयाग	सिंचाई खंड, विकासनगर	परियोजना खंड, देहरादून	धारा 7 (घ) (1)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

1

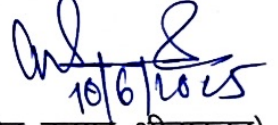
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1810 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1811 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मलकेश्वर लाल टम्टा/चमोली	परियोजना खण्ड, देहरादून	परियोजना खंड, ऋषिकेश	धारा 7 (घ) (1)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16

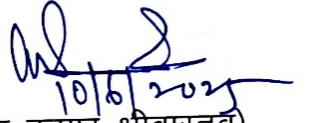
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1811 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 18/2 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
	सर्व श्री				
1	2	3	4	5	6
1	खड़क सिंह/ उधमसिंहनगर	प्रशासन खंड रुड़की (उपखंड-2)	सिंचाई परिकल्प संगठन रुड़की	धारा 7 (घ) (1)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1812 / प्र0अ0 / सि0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1813 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	शशि भूषण/ पौड़ी	पी०एम०जी० एस०वाई० सि०ख०, देहरादून	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खंड, कोटद्वार	धारा 7 (घ) (1)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



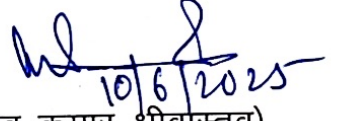
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1813 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1814 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 30 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	पंकज ढौंडियाल / नैनीताल	जमरानी बांध निर्माण खंड-2, हल्द्वानी	सिंचाई खंड, रुद्रपुर (उपखंड-3)	धारा 7 (घ) (3) एवं 3 (घ)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1814 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1815 / प्र0अ0/सि0वि0/कार्मिक-1/ई-5/स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	नवीन चन्द्र पाण्डे/ नैनीताल	सिंचाई खंड, हल्द्वानी (उपखंड-2)	सिंचाई खंड सितारगंज (उपखंड-2)	धारा 7 (घ) (1)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



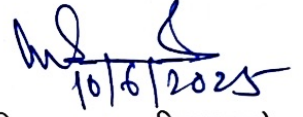
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1815 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1816 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सहित स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मिताली कपिल / नैनीताल	पी0एम0जी0एस 0वाई0, सिं0ख0, हल्द्वानी	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खंड, लोहाघाट	धारा 7 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

५

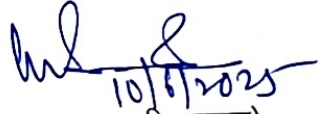
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1816 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1217 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
सर्व श्री					
1	2	3	4	5	6
1	विशाल प्रसाद / अल्मोड़ा	सिंचाई खंड, रूद्रपुर (उपखंड-3)	सिंचाई खंड कपकोट (उपखंड-2)	धारा 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



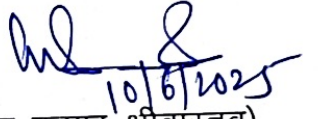
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1817 / प्र0अ0 / सि0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1818 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विमल कुमार वर्मा/अल्मोड़ा	सिंचाई खंड, सितारगंज (उपखंड-2)	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खंड, हल्द्वानी	धारा 7 (घ)(1)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



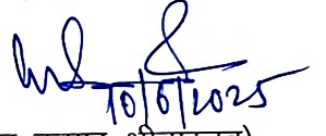
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1818 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1219 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
	सर्व श्री				
1	2	3	4	5	6
1	अभय सिंह/ उत्तर प्रदेश	सिंचाई खंड, रुड़की (उपखंड-2)	सिंचाई खंड, थराली (उपखंड-थराली)	धारा 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1819 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1820 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सहित स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मयंक मित्तल / उधमसिंहनगर	सिंचाई खंड, रामनगर	सिंचाई खंड रानीखेत (उपखंड- 1)	धारा 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



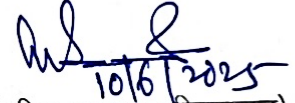
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1820 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।



(संजीव कुमार श्रीवास्तव)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)

 कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1821 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सहित स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अमित बंसल /राजरस्थान	सिंचाई खंड, हल्द्वानी (उपखण्ड-4)	सिंचाई खंड धारचुला (उपखंड- मुनस्यारी)	धारा 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1821 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)

हृ कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1822 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विनोद कुमार/ हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा उप-3	सिंचाई खंड केदारनाथ (उपखंड-2)	धारा 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

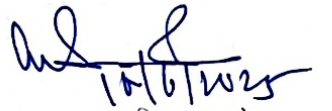


सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: ७२२ / प्र०अ० / सि०वि० / ई-5 / स्था०-2025 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई०टी०सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1823 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय झाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	इन्द्र कुवंर / नैनीताल	सिंचाई खंड, हरिद्वार (उपखंड-5)	सिंचाई खंड धारचुला (उपखंड- बलुआकोट)	धारा 7 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1823 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1224 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
सर्व श्री					
1	2	3	4	5	6
1	हेम चन्द्र उपाध्याय / बागेश्वर	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खंड, हल्द्वानी	सिंचाई कार्य मण्डल, उधमसिंहनगर	धारा 7 (घ)(1)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1824 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1825 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मनमोहन सिंह बिष्ट / नैनीताल	सिंचाई खंड, कपकोट (उपखंड-2)	सिंचाई खंड नैनीताल (उपखंड-1)	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 4 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 5 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1825 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1826 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रयाग दत्त भट्ट / अल्मोडा	सिंचाई खंड, कपकोट (उपखंड-3)	सिंचाई खंड अल्मोडा (उपखंड-4)	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 4 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 5 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



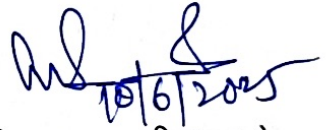
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1826 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1827/प्र0अ0/सि0वि0/कार्मिक-1/ई-5/स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	गीतेश गौरव सैनी / हरिद्वार	प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून	पी0एम0 जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड-1 नई टिहरी	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 4 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 5 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



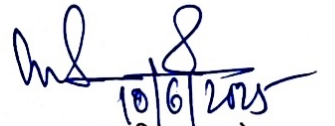
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1827/प्र0अ0/सिं0वि0/ई-5/स्था0-2025/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2)/(सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1828 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रणय कुमार फरासी/ देहरादून	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, सिंचाई विभाग, देहरादून	प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 4 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 5 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1828 / प्र0अ0 / सि0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1829 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	शिव कुमार/हरिद्वार	जल विज्ञान ईकाई-1 (जल विज्ञान खंड) बहादुराबाद	सिंचाई खंड, रुडकी (उपखंड-1)	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 4 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 5 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



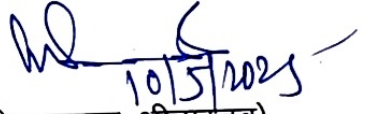
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1829 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1830 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय झाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सर्व श्री महकार सिंह/ हरिद्वार	सिंचाई खंड, दुगड्डा (उपखंड-4)	सिंचाई खंड, दुगड्डा (उपखंड-3)	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 4 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
- 5 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।



**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1830 / प्र0अ0 / सि0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 183 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	लोकेश कुमार/ हरिद्वार	पी०एम०जी० एस०वाई० सि०ख०, पुरोला	सिंचाई खंड रुडकी (उपखंड-2)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



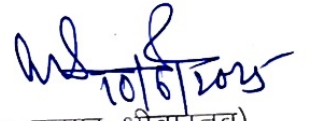
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1831 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1832/प्र0अ0/सि0वि0/कार्मिक-1/ई-5/स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवाओं के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुरेन्द्र सिंह कठायत/ अल्मोडा	सिंचाई खंड, रानीखेत (उपखंड-1)	मुख्य अभियन्ता स्तर-2 हल्द्वानी	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



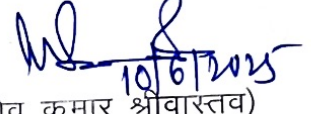
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1832/प्र0अ0/सिं0वि0/ई-5/स्था0-2025/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2)/(सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1833 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
	सर्व श्री				
1	2	3	4	5	6
1	राजन पन्त / बागेश्वर	पी0एम0जी0 एस0वाई0सिं0 खंड ज्योलीकोट (नैनीताल)	सिंचाई खंड काशीपुर (उपखंड-3)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



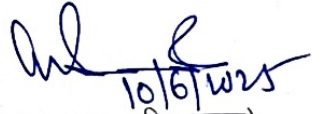
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1833 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1834 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 16 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	दीन दयाल सती/अल्मोडा	सिंचाई खंड, नैनीताल (उपखंड-5)	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खंड, हल्द्वानी	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1834 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1835 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कुताली लाल / चमोली	पी०एम०जी० एस०वाई० सिंचाई खंड, चम्बा	अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादून	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

A

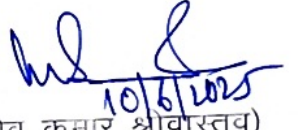
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1835 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1836 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	भगत सिंह रावत / चमोली	पी०एम०जी० एस० वाई० सिं०ख० -1श्रीनगर।	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खंड-2 श्रीनगर	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1836 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


10/6/2025

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1837/प्र0अ0/सि0वि0/कार्मिक-1/ई-5/स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुनील कुमार/पौड़ी	पी0एम0जी0एस 0वाई0, सिं0ख0 जखोली	सिंचाई खंड हरिद्वार (उपखंड-5)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

2

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1837/प्र0अ0/सिं0वि0/ई-5/स्था0-2025/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2)/(सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1838 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विनोद भण्डारी / नैनीताल	सिंचाई खंड रानीखेत (उप-2)	सिंचाई खंड हल्द्वानी (उपखंड-4)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1838 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2)/(सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1839 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	दीप चन्द्र पाण्डे /अल्मोडा	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खंड, बागेश्वर।	सिंचाई खंड रामनगर (उपखंड-3)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

६

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1839 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1840 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
	सर्व श्री				
1	2	3	4	5	6
1	मनीष कुमार/ हरिद्वार	सिंचाई खंड, अल्मोड़ा (उपखंड-4)	जल विज्ञान खंड बहादुराबाद (उपखंड-2)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



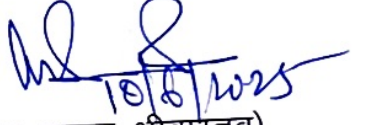
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1840 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1841 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	सर्व श्री	3	4	5	6
1	संजय तिवारी/ अल्मोड़ा	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिं0ख0 चम्पावत सम्बद्ध प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून	जमरानी बाँध निर्माण खंड-हल्द्वानी (पी0 आई0यू0जमरानी)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 184 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

~~कार्यालय प्रमुख अभियन्ता~~

**सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1842 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
	सर्व श्री				
1	2	3	4	5	6
1	फरजान खालिद / उधमसिंहनगर	सिंचाई खंड, धारचूला (मुनस्यारी)	सिंचाई खंड रानीखेत (उपखंड-4)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

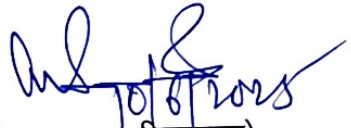


(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1842 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता


कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 1843 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	संजीव कुमार सिंह/हरिद्वार	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सि०खंड-2, टिहरी	सिंचाई खंड, विकासनगर (उपखंड-4)	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1843 / प्र0अ0 / सि0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1844 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	ललित कुमार धारीवाल/ हरिद्वार	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिं0ख0, बैजरो	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खंड, कोटद्वार	धारा 10 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



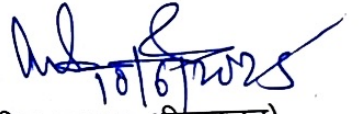
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1844 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1845 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
	सर्व श्री				
1	2	3	4	5	6
1	योगेश चन्द्र कोटियाल / टिहरी	सिंचाई खंड, केदारनाथ (उपखंड-2)	परियोजना खंड, देहरादून	धारा 10 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



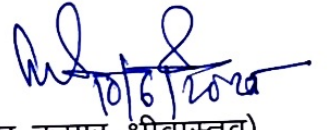
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1845 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1846 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अंकित कुमार / हरिद्वार	पी0एम0जी0 एस0वाई0, सिं0खं0-01, नई टिहरी	जल विज्ञान ईकाई-1 (जल विज्ञान खंड) बहादुराबाद	धारा 10 (ख)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1846 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1847 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वैभव गुप्ता/ उत्तर प्रदेश	पी०एम०जी० एस०वाई० सि०ख०, चम्पावत	प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान रूडकी	धारा 10 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



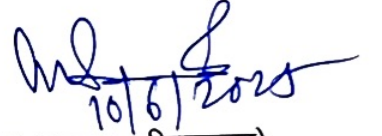
सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1847 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1848 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	चन्द्र शेखर आर्या/अल्मोड़ा	सिंचाई खंड, धारचुला (बलुवाकोट)	सिंचाई खंड, हल्द्वानी (उपखंड-2)	धारा 10 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

2

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1848 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1849 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विनय बोहरा / देहरादून	सिंचाई खंड पुरोला (उप-4)	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खंड, देहरादून	धारा 10 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**



(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1849 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1850 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मु० नवाजिश हुसैन / उत्तर प्रदेश	पी०एम०जी० एस०वाई० सि०ख० पुरोला	प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून	धारा 10 (क)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**



(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1850 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: १८५१ / प्र०अ० / सि०वि० / कार्मिक-१ / ई-५ / स्था०-२०२५,

दिनांक: १० जून, २०२५

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-४ में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६
१	प्रमोद रावत / उत्तराकाशी	पी०एम०जी० एस०वाई० सिंचाई खंड, श्रीनगर-२	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खंड-१ श्रीनगर	धारा १७ (१)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- १ सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- २ स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- ३ स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ४ स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा २४(१)(२)(३) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः २)

पत्रांक: 1851 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1852 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	राजेश प्रसाद बिजलवाण / उत्तराकाशी	पी०एम०जी० एस०वाई० सिंचाई खंड, चिन्यालीसौड	सिंचाई खंड पुरोला (उपखंड-4 बडकोट)	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



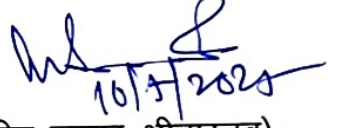
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1852/प्र0अ0/सिं0वि0/ई-5/स्था0-2025/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2)/(सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. कट फाईल हेतु।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता


**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1853 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 0 जून, 2025

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
	सर्व श्री				
1	2	3	4	5	6
1	हरीश चौहान / उत्तरकाशी	पी0एम0जी0 एस0वाई0 सिंचाई खंड-1 श्रीनगर	पी0ए0जी0एस0वाई0 सिंचाई खंड-2 श्रीनगर	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



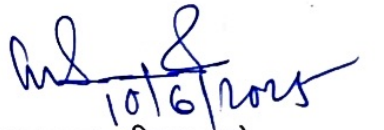
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1853 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता


**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1854 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सिकन्दर कुमार / हरिद्वार	सिंचाई खंड, चमोली (उपखंड-2)	सिंचाई खंड, थराली (उपखंड-4)	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

h

**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1854 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता


**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।**

संख्या: 1855 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2025,

दिनांक: 10 जून, 2025

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	पंकज नेगी / पौड़ी	पी0एम0जी0 एस0 वाई0सिं0ख0 लोहाघाट	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खंड-2 नई टिहरी	धारा 17 (1)(ख)(छः)	

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



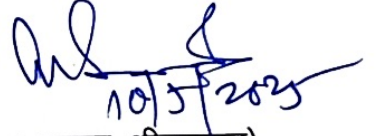
**सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता**

(क्रमशः 2)

पत्रांक: 1855 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2025 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता